राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2767/2023

रामराय मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक, पुलिस (मुख्यालय), लालकोठी, जयपुर (राज.)।
3. पुलिस अधीक्षक, अजमेर, जिला अजमेर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.10.2023
आदेश की दिनांक : 03.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आरोप पत्र दिनांक 16.04.2022 एवं दो आरोप जो प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध लगाए गए हैं, को अपास्त फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर रिजर्व पुलिस लाईन, अजमेर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2011 में कांस्टेबल के पद पर हुई थी और नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 16.04.2022 प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा जारी किया गया, जो नियमानुसार दण्डनीय नहीं है। उनका कथन है कि अपीलार्थी जब पुलिस थाना केकडी, जिला अजमेर पदस्थापित था, तो अपीलार्थी परिवार के साथ लौटते समय कुछ लोगों ने रास्ता रोका और अपीलार्थी ने एवं कांस्टेबल वीरेन्द्र तथा लोकेश ने हटने के लिए अनुरोध किया, परंतु उन लोगों ने जातिसूचक अभद्र व्यवहार किया और झगडा के दौरान अपीलार्थी ने पुलिस थाना केकडी को फोन किया, ड्यूटी स्टाफ दुर्घटना स्थल पर आया। अपीलार्थी को उपचार हेतु अस्पताल लाया गया। अस्पताल से छुट्टी होने उपरांत अपीलार्थी ने

उन लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. संख्या 206 दिनांक 30.03.2021 को दर्ज करायी तथा उन्होंने भी अपीलार्थी के विरूद्ध एफ.आई. आर. संख्या 207 दिनांक 30.03.2023 को दर्ज करायी। विपक्षी लोगों ने क्रिमिनल मिसलेनियस याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.06.2021 को अंतरिम आदेश जारी किया। उनका कहना है कि विपक्षी लोग अधिवक्ता थे, जिसके कारण एसएचओ द्वारा देरी से एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। उस समय अपीलार्थी को न तो निलंबित किया गया और न ही आरोप पत्र दिए गए। परंतु राजनैतिक प्रभाव एवं अधिवक्तागण के दबाव में आकर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी आपराधिक जांच एफ.आई.आर. 206/2021 का सामना कर रहा है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा भी आरोप पत्र के साथ–साथ 21 गवाहों के नाम भी जारी किए हैं, जो उक्त मामले से संबंध रखते हैं और इस प्रकार क्रिमिनल ट्रायल पर प्रभाव पडेगा। ऐसा भी प्रावधान है कि क्रिमिनल कार्यवाही एवं विभागीय कार्यवाही दोनों एक साथ की जा सकती है, जिस पर कोई रूकावट नहीं होगी और इसी प्रकार के समान मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 76/2021 यादराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 13.01.2021 को अंतरिम आदेश जारी किया है एवं माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा सी.डब्ल्यू. 17314/2019 जो भी उक्त मामले के समान मामला है। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया गया आरोप पत्र दिनांक 16.04.2022 विधि एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आरोप पत्र दिनांक 16.04.2022 एवं दो आरोप जो प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध लगाए गए हैं, को अपास्त फरमाया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर रिजर्व पुलिस लाईन, अजमेर में कार्यरत है और नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 16.04.2022 प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा जारी किया गया, जो नियमानुसार दण्डनीय नहीं है। अपीलार्थी परिवार के साथ लौटते समय कुछ लोगों ने रास्ता रोका और अपीलार्थी ने एवं कांस्टेबल वीरेन्द्र तथा लोकेश ने हटने के लिए अनुरोध किया, परंतु उन लोगों ने

जातिसूचक अभद्र व्यवहार किया और झगडा के दौरान अपीलार्थी ने पुलिस थाना केकडी को फोन किया, ड्यूटी स्टाफ दुर्घटना स्थल पर आया। अपीलार्थी ने उन लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. संख्या 206 दिनांक 30.03.2021 को दर्ज करायी तथा उन्होंने भी अपीलार्थी के विरूद्ध एफ.आई. आर. संख्या 207 दिनांक 30.03.2023 को दर्ज करायी। विपक्षी लोगों ने क्रिमिनल मिसलेनियस याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.06.2021 को अंतरिम आदेश जारी किया। जहां तक अपीलार्थी के विरूद्ध आलोच्य आरोप पत्र दिनांक 16.04.2022 प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किये जाने का प्रश्न है, उक्त आलोच्य आरोप पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16/18 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। जो हमारे मत में नियमानंसार जारी किया जाना प्रकट होता है और उक्त आलोच्य आरोप पर में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित समझते है। अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 76/2021 यादराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा सी.डब्ल्यू. 17314/2019 में जो आदेश पारित किये गये है उनकी प्रकाश में वर्तमान मामले का निर्णय नहीं किया जा सकता है क्योंकि वर्तमान मामले के तथ्य एवं उक्त मामलों के तथ्यों से भिन्न है। अतः अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य